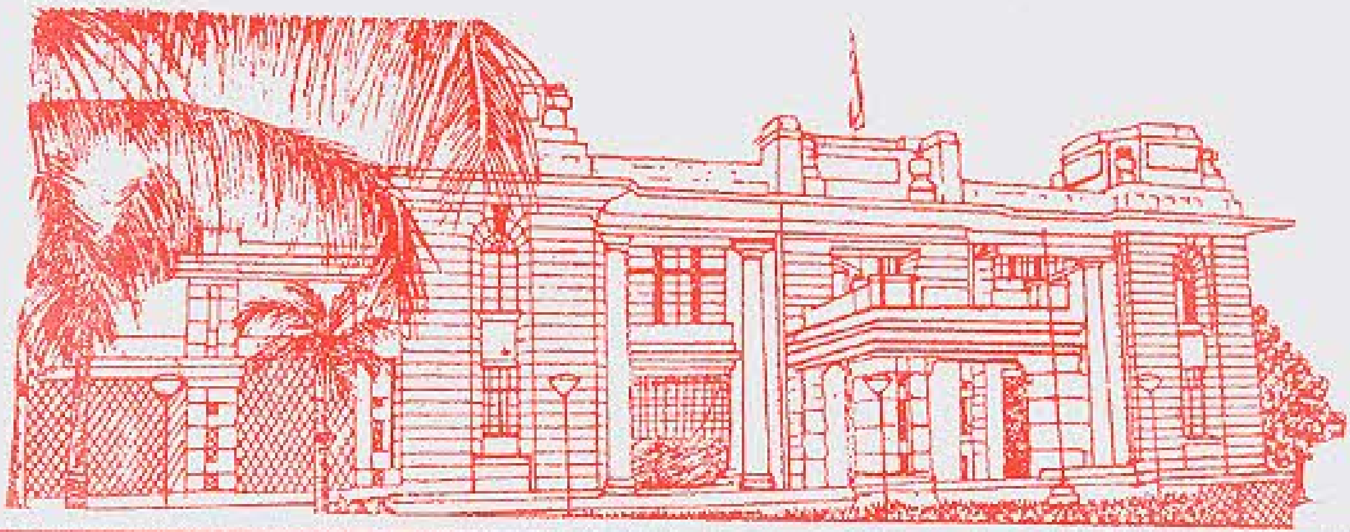

बिहार विधान परिषद् दैनिक विवरणिका

संख्या- 6 सत्र- 188वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
बुधवार, दिनांक 7.3.2018 ई.

माननीय उप सभापति श्री मो. हारूण रशीद की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 3.10 अपराह्न तक

1. **कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन**

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार ने भ्रष्ट पदाधिकारियों के पास पूरी जिम्मेदारी सौंपे जाने तथा बढ़ रही अपराध की घटनाओं के संबंध में अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया, जिस पर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के कार्यस्थगन प्रस्तावों के निष्पादन के आधार संख्या-6 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

कार्यस्थगन प्रस्ताव के समर्थन में राजद के माननीय सदस्यगण जोर-जोर से बोलते हुए तथा पोस्टर लहराते हुए सदन वेश्म में चले आये जबकि माननीय सदस्या, श्रीमती राबड़ी देवी अपने स्थान पर खड़े होकर बोलती रहीं, इस दौरान कांग्रेस के माननीय सदस्यगण अपने स्थानों पर खड़े रहे। सत्तापक्ष के माननीय सदस्य, श्री गुलाम रसूल ने इसका विरोध किया। इसके बाद माननीय उप सभापति महोदय ने माननीय सदस्यों से आग्रह किया कि कृपया बैठ जाइये, अभी बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, अल्पसूचित, तारांकित प्रश्नों तथा ध्यानाकर्षण का उत्तर होना है, इसलिए कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन के अनुरोध पर माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थानों पर चले गये तथा कांग्रेस के माननीय सदस्यगण बैठ गये।

2. प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 49, 50, 51, 52, 53 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 54, 55, 56, 57 सदन पटल पर रखे गए।

आसन का नियमन

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 49 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्य, माननीय मंत्री का कहना है कि अगले फाइनेंशियल ईअर में इसपर आपके प्रश्न के आलोक में कार्रवाई होगी।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 50 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि सरकार की तरफ से उत्तर हो रहा है और माननीय मंत्री, माननीय सदस्य से राय लेकर जांच करवाकर देख लेंगे। माननीय सदस्य, जिस आदमी की जमीन के बारे में आपने प्रश्न उठाया है, जांच जिससे कराई जाएगी, आपको उसकी जानकारी दी जाएगी और न्याय मिलेगा।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 51 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री, सत्र शुरू होने से पहले सभी विभाग के पदाधिकारियों की बैठक में मैंने कहा था कि कम से कम पटना में यह प्रश्न नहीं आना चाहिए कि कूड़ा कहां नहीं उठा या सड़क पर पानी आ गया।। इसलिए आप मॉनिटरिंग करके इसको गंभीरता से देख लीजिए और जहां लापरवाही हो रही है, उसको कंट्रोल कीजिए।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 108, 109, 110,113, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 124, 125 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 111, 120, 123 स्थगित हुए।
प्रश्न संख्या- 112, 114 सदन पटल पर रखे गये।

आसन का नियमन

तारांकित प्रश्न संख्या- 110 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि आप इसको दिखवा लीजिए, माननीय सदस्यों की चिंता है। बेनीपट्टी प्रखंड में जो दिलीप जी बता रहे हैं, माननीय मंत्री ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर जांच करके अवगत कराएंगे कि क्या कार्रवाई हो रही है।

तारांकित प्रश्न संख्या- 116 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्यों की चिंता ये है कि आपने अपने रोडमैप में पर्यटन के जो तीन महत्वपूर्ण स्थानों की चर्चा प्रश्न में की है, उसको आपने जोड़ लिया। आप ही कह रहे हैं कि डी.एम. से

प्रतिवेदन मांगे हैं, तो डी.एम. उस प्रतिवेदन में उसको छोड़ न दें, ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए संज्ञान में लेकर इसको दिखवा लें।

तारांकित प्रश्न संख्या- 121 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री, अगर विभाग से कोई फेक जवाब आता है तो सख्ती से कार्रवाई कीजिए। गलत उत्तर दे देंगे तो आपकी और विभाग की छवि खराब होगी। इसलिए इसको गंभीरता से लीजिए।

माननीय उप सभापति महोदय ने सदन को सूचित करते हुए यह भी बताने की कृपा की कि माननीय सदस्य, बिहार विधान परिषद् से एक टीम शिमला गयी थी, वहां पर ई-विधान लागू है। भारत सरकार ने उसके लिए पैसे भी दिए हैं। आनेवाले समय में आपके हाथ में भी लैपटॉप होगा और आप बैठे-बैठे सब चीज देख सकेंगे। देश के सभी विधान मंडलों में आपकी विधान परिषद् आगे चल रही है। बहुत जल्द वह दिन आएगा कि बैठे-बैठे आप यहां से मंत्री जी को दिखलाइएगा कि कहां कूड़ा नहीं उठा, कहां कब्जा है। दुनिया तेजी से बदल रही है।

तारांकित प्रश्न संख्या– 123 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि ये प्रश्न स्थगित रहेगा। आप इसकी जांच कराकर इस प्रश्न का उत्तर सत्र के अंतिम समय तक सदन में दे दीजिएगा।

तारांकित प्रश्न संख्या- 124 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री, उसको देख लीजिए और जहां गड़बड़ी है उसको ठीक करवाइए।

3. औपचारिक कार्य

विधान सभा से स्वीकृत विधेयक का सदन की मेज पर रखा जाना

सचिव द्वारा बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-157 के अनुसरण में बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 06 मार्च, 2018 की बैठक में यथापारित 'बिहार विनियोग विधेयक, 2018' की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

4. शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान निम्नांकित माननीय सदस्यों ने विभिन्न विषयों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया-

1. डा. दिलीप कुमार चौधरी
2. प्रो. संजय कुमार सिंह
3. श्री सुबोध कुमार

आसन का निदेश

माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि आप दे दीजिए, शून्यकाल समिति इसको देखेगी।

माननीय सदस्य, प्रो. संजय कुमार सिंह की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि आप दे दीजिए, शून्यकाल समिति इसको देखेगी।

आसन का निदेश तथा माननीय मंत्री द्वारा सूचना दिया जाना

माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि शून्यकाल समिति के सुपुर्द किया जाता है और संबंधित माननीय मंत्री को भी इसकी सूचना दे दी जाय। इसपर माननीय मंत्री, श्री प्रमोद कुमार ने जानकारी दी कि महामहिम राज्यपाल के आदेश पर इसकी जांच की जा रही है और जांच के दौरान उनका स्थानांतरण किया गया है।

5. ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी द्वारा मुख्यमंत्री 'सात निश्चय योजना' के क्रियान्वयन में उदासीनता के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री सुरेश कुमार शर्मा ने वक्तव्य दिया।

2. माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार द्वारा वैशाली एवं मुजफ्फरपुर जिला में खासमहल एवं जिला परिषद् की जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से समय लिया गया।

3. माननीय सदस्य, श्री नीरज कुमार द्वारा राज्य में 'राष्ट्रीय भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण योजना' के क्रियान्वयन के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री प्रमोद कुमार ने सदन पटल पर वक्तव्य रखा।

4. माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव द्वारा राज्य के खासमहल की जमीन की जानकारी के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री प्रमोद कुमार ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री, आप विभाग को हिदायत दीजिए और संबंधित प्रश्न की जानकारी प्राप्त कर उसकी सूची माननीय सदस्य को भी उपलब्ध करा दीजिए।

(अंतराल)

6. वित्तीय कार्य

वित्तीय वर्ष 2017-18 की तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं बिहार विनियोग विधेयक, 2018

माननीय सदस्य, श्री सोने लाल मेहता ने प्रस्ताव किया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 की तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं तत्संबंधी बिहार विनियोग विधेयक, 2018 एक साथ लिए जाएं, जिसपर सदन द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

वित्तीय विधेयक

बिहार विनियोग विधेयक, 2018

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार विनियोग विधेयक, 2018 पर विचार हो।

विधेयक के विचार के प्रस्ताव पर माननीय सदस्य, डा. रामवचन राय ने अपने विचार व्यक्त किये।

(तदुपरांत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार विनियोग विधेयक, 2018 पारित हो।

विधेयक की स्वीकृति के प्रस्ताव पर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

(तदुपरांत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

7. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. प्रो. संजय कुमार सिंह
2. श्री संजीव श्याम सिंह
3. श्री सतीश कुमार
4. श्री शिवप्रसन्न यादव

माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 8.3.2018 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

7/3/2018

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद् ।

ज्ञापांक- 389 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 7.3.2018

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार
7-3-2018

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद् ।